



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082025-265266
CG-DL-E-07082025-265266

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3535]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2025/श्रावण 15, 1947

No. 3535]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2025/SHRAVANA 15, 1947

ग्रामीण विकास मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2025

का.आ. 3622(अ).— महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस आशय से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची 1 में, अनुच्छेद 4 की उप-अनुच्छेद (1) में, मद 1 के उप-मद (v) में, शब्द और अंक "बागवानी" के पश्चात्, " ; वनाग्नि प्रबंधन कार्य" शब्द जोड़े जाएंगे।

[फा. सं. जे-11017/04/2024-आरई-VII]

रोहिणी रामदास भाजीभाकरे, संयुक्त सचिव

नोट: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची 1 को पहली बार संख्या एस.ओ. 323 (अ), दिनांक 6 मार्च, 2007 द्वारा संशोधित किया गया था और अंतिम बार संख्या एस.ओ. 3126 (अ), दिनांक 7 जुलाई, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2025

S.O. 3622(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendments to Schedule I of the said Act, namely:-

2. In the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, in Schedule I, in paragraph 4, in sub-paragraph (1), in item I, in sub-item (v), after the word and figure “Paragraph 5”, the words “, forest fire management works” shall be inserted.

[F. No. J-11017/04/2024-RE-VII]

ROHINI RAMDAS BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.

Note : Schedule I of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 was first amended vide number S.O. 323(E), dated the 6th March, 2007 and lastly amended vide number S.O. 3126 (E), dated the 7th July, 2022.